राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1624/2024

रामफल शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव कम आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भरतपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति पहाडी, जिला भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.04.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड़, कैवियटर

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान कर हस्तगत अपील में संशोधन कर संशोधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया गया एवं सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर पंचायती समिति उच्चैन, भरतपुर में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.10.2021 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ पंचायत समिति पहाड़ी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.11.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा पंचायत समिति पहाड़ी का अतिरिक्त चार्ज होतीराम सहायक अभियंता को आवंटित किया गया तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया गया कि अपनी उपस्थिति अग्रिम आदेशों तक जिला परिषद्, भरतपुर में देवे। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.02.2023 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ पंचायत समिति उच्चैन में लगाया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 के पत्र दिनांक 12.03.2024 (अनुलग्नक–5) के द्वारा पंचायत समिति

पहाड़ी में पदस्थापन के दौरान एसएफसी VI योजना में पंचायत समिति अंश में ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य अनुमंत नहीं होने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2022–23 में ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य आसू अगोनिया के घर से खण्डेलवा सीमा की और गंगोरा लागत राशि 5.00 लाख रूपये एसएफसी VI योजना अन्तर्गत गैर अनुमत कार्य स्वीकृत कर व्यय किये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.03.2024 को प्रत्यर्थी संख्या 1 को नोटिस का जवाब देकर अनुरोध किया गया कि षष्ठम योजना में पंचायत समिति अंश में ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य आशु अगोनियां के घर से खण्डेवला सीमा की ओर गंगोरा लागत राशि 5.00 लाख रूपये की स्वीकृति मेरे द्वारा मेरी आईडी से जारी नहीं की गयी है और न ही उक्त कार्य का मेरे द्वारा मूल्यांकन किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.03.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया जाकर अपीलार्थी का मुख्यालय पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर कर दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.03.2024 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को बहाल किया जावे तथा निरन्तर सहायक अभियंता के पद पर कार्य करने दिया जावे एवं वेतन भत्ते के भुगतान सहित समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर राजकीय अधिवक्ता ने अपील को पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग एफ–27 (252) ग्रावि/दिनांक 27–03–2018 के अनुसार संविदा पर कार्यरत जेटी/एसटीए को मूल्यांकन जांच करना/पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना आदि की वित्तीय शक्तियां नही है। ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के बिन्दु संख्या 16.1 के अनुसार राशि 2 लाख से 10 लाख, 10 लाख से अधिक के कार्यों का सक्षम तकनीकी अधिकारी सहायक अभियंता द्वारा शत–प्रतिशत आवश्यक है। एसएफसी षष्ठम योजना में पंचायत समिति अंश में ग्रेवल सडक निर्माण कार्य आसू अगोनिया के घर से खण्डेवला सीमा की ओर लागत राशि 5 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति 106470 दिनांक 2–7–2022 द्वारा विकास अधिकारी श्री देशवीर द्वारा जारी की गयी, तकनीकी स्वीकृति 131387 दिनांक 26–8–2022 श्री पवन सिंह कनिष्ठ तकनीकी सहायक (संविदा) द्वारा जारी की गयी थी एवं वित्तीय स्वीकृति 126638 दिनांक 12–09–2022 देशवीर विकास अधिकारी द्वारा जारी की गयी थी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक (संविदा), सहायक

अभियंता के अधीन कार्य करते है इसलिए कनिष्ठ तकनीकी सहायक (संविदा) द्वारा जारी की गयी तकनीकी स्वीकृति के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी अपीलार्थी श्री रामफल शर्मा सहायक अभियंता थी। एफवीसी वाउचर कमांक 65 दिनांक 27–09–2022 द्वारा राशि 194553/– रूपये वाउचर नंबर 29 दिनांक 22–11–2022 द्वारा राशि 166329/– रूपये का व्यय अपीलार्थी के कार्यकाल में हुआ, कनिष्ठ तकनीकी सहायक (संविदा) के मूल्यांकन की वित्तीय शक्तियां नही थी जिसके कारण मूल्यांकन के लिए सक्षम अभियंता अपीलार्थी था। विभागीय आदेश दिनांक 27–3–2018 एवं ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के बिन्दु संख्या 16.1 के अनुसार अपीलार्थी की कार्य के शत–प्रतिशत निरीक्षण की जिम्मेदारी थी, अपीलार्थी के द्वारा जिम्मेदारी सही प्रकार से वहन नहीं की गयी जिसके कारण अनियमित व्यय हुआ। विभागीय आदेश दिनांक 27–3–2018 एवं ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 की फोटो प्रति के अवलोकनार्थ प्रदर्श आर–01 व आर–02 संलग्न है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर (पंचायत राज प्रकोष्ठ) के आदेश दिनांक 4–12–2023 द्वारा पंचायत समिति पहाडी का निरीक्षण करने के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसकी पालना में दिनांक 12–12–2023 व दिनांक 13–12–2023 को पंचायत समिति पहाडी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट में अपीलार्थी व अन्य द्वारा अनियमित भुगतान किए जाने का दोषी माना गया। जांच रिपोर्ट जवाब के साथ प्रदर्श आर–03 संलग्न है। जिस पर अपीलार्थी को दिनांक 12–03–2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया (जो कि अपील के साथ प्रदर्श–5 संलग्न है) अपीलार्थी का निलम्बन राज्य सरकार द्वारा जांच समिति की प्राथमिक जांच में दोषी पाये जाने पर राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित जांच के उपरान्त निलम्बित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नही है।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर (पंचायत राज प्रकोष्ठ) के आदेश दिनांक 4–12–2023 द्वारा पंचायत समिति पहाडी का निरीक्षण करने के लिए कमेटी का गठन किये जाने पर दिनांक 12–12–2023 व दिनांक

13–12–2023 को पंचायत समिति पहाडी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट में अपीलार्थी व अन्य द्वारा अनियमित भुगतान किए जाने का दोषी माना गया। जिस पर अपीलार्थी को दिनांक 12–03–2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी का निलम्बन राज्य सरकार द्वारा जांच समिति की प्राथमिक जांच में दोषी पाये जाने पर राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित जांच के उपरान्त निलम्बित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि एवं दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य